जनपद - जालौन,उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट सं0 53, दिनांक – 20.04.2019

दिनांक 19.04.2019 को थाना कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा ग्राम कुरैहना आलमगीर में घटित दोहरे हत्याकांड की घटना में 01 वांछित अभियुक्त को आलाकत्ल सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1 – वीरेन्द्र कुमार पुत्र बाबादीन निवासी ग्राम सरसौखी थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

बरामदगी का विवरण:-

1 – 01 अदद आलाकत्ल कुल्हाडी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समय:-

अभियुक्त को जनपद जालौन के थाना क्षेत्र कोतवाली उरई वाईपास एनएच तिराहा गोविन्दम के पास से आज दिनांक 19.04.2019 को समय 16.40 PM पर गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08.04.2019 को वादी मुकदमा श्री निर्भय सिह पुत्र स्व0 जगराम निवासी ग्राम कुरैहना आलमगीर थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन की तहरीरी सूचना अपने पिता जगराम पुत्र मईयादीन एवं माता श्रीमती विद्यावती उर्फ कम्मो पत्नी स्व0 जगराम की अपराधियों द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध में थाना कालपी पर मु0अ0सं0 126/19 धारा 302/147/148 भादवि वनाम कामता प्रसाद उपरोक्त आदि 07 व्यक्ति समस्त निवासीगण ग्राम कुरैहना थाना कोत0 कालपी जनपद जालौन के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त मुकदमें में आरोपी कामता प्रसाद पुत्र नाथूराम व आरोपी रामस्वरूप पुत्र स्व0 भोलाराम निवासी ग्राम कुरैहना आलमगीर थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री स्वामी प्रसाद महोदय द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत लुटेरे /वारण्टी/ मो0सा0 चोर/ वांछित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 अवधेश सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कालपी श्री संजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कालपी की संयुक्त टीम को लगाया गया था।

जनपद जालौन की लौहमहर्षक घटना को प्रभारी निरीक्षक थाना कालपी की संयुक्त टीम द्वारा महत्वपूर्ण जमीनी साक्ष्य एकत्र कर थाना क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, तलाश वांछित अपराधी एवं पतारशी सुरागरशी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से उपरोक्त आलाकत्ल की बरामदगी की गयी।

थाना कालपी पर पंजीकृत उपरोक्त मु0अ0सं0 126/19 धारा 302/147/148 भादवि की विवेचना से नामजद आरोपी रामस्वरूप उपरोक्त को मय आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया गया, अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर तलाश जारी है।

पूछतांछ पर अभियुक्त ने बताया कि रामनगर उरई के रहने वाले अन्नू बाबू अहिरवार ने 20 वर्ष पहले मृतक जगराम से शर्तिया बैनामा करवाया था जिसपर मृतक को कुछ पैसा भी दिया था परन्तु मृतक द्वारा पैसा वापस नही किया औऱ अपनी जमीन पर कब्जा बनाये रखा , जिस पर उपरोक्त अन्नू बाबू अहिरवार ने 6-7 वर्ष पहले मुझे मृतक की जमीन का बैनाम कर दिया था फिर भी जमीन पर मृतक का ही कब्जा बना रहा औऱ अपनी खेती करता रहा। वर्तमान समय में मृतक एवं मृतक के परिवारीजन द्वारा फसल बोयी गयी थी जिसे दिनांक 08.04.2019 को शाम मृतक एवं मृतक के परिवारीजन खेत पर मौजूद थे जहाँ पर मैं और मेरे साथी पहुँच कर मृतक व मृतक के परिवारीजन से जमीन के सम्बन्ध में बातचीत कहासुनी होने लगी जिस पर मृतक एवं मृतक के परिवारीजनों द्वारा विरोध करने पर मैने एवं मेरे साथियों द्वारा कुल्हाडी से प्रहार कर हत्या कर दी गयी, मुझसे गलती हो गयी है, मैंने जिस कुल्हाडी से प्रहार कर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की हत्या की थी, आज पुलिस ने बरामद कर लिया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण: –

1- प्र0नि0 श्री सुधाकर मिश्रा थाना कोत0 कालपी जालौन।
2 -व0उ0नि0 श्री अरुण कुमार तिवारी थाना कोत0 कालपी जालौन
3- उ0नि0श्री विजय कुमार द्विवेदी थाना कोत0 कालपी जालौन
4- का0 1435 विकास कुमार थाना कोत0 कालपी जालौन।
5- का0 चालक यादवेन्द्र वीर सिंह थाना कोत0 कालपी जालौन।